# न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1173/2026**
**नौतन थाना कांड सं0–185/2021**
**अंतर्गत धारा–302, 120बी/34 भा.द.वि. एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट**
**(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–438 दण्ड प्रक्रिया संहिता)**

**अमित राज..... आवेदक/अभियुक्त**
**बनाम**
**बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी**

---

**उपस्थितः– श्री अनिल कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से**
**श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से**

---

***आ–दे–श***

**16.06.2026**

आवेदक/अभियुक्त अमित राज की ओर से नौतन थाना कांड संख्या 185/2021, अंतर्गत धारा–302, 120बी/34 भा.द.वि. एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुनी गयी।

संक्षेप में, सूचक विद्या प्रसाद (पु0अ0नि0)के द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 16.08.2021 को सूबह 04:15 बजे बंका मोड़ के पास था तभी चौकीदार द्वारा मोबाइल पर फोन कर सूचित किया गया कि हरपूर नहर पूल के पास दो युवक सड़क दुर्घटना में गिरे पड़े हैं उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचक दल–बल के साथ हरपूर नहर पुल के पास पहुॅचा तो दो युवक को सड़क पर गिरा पाया। एक युवक दर्द से कराह रहा था तथा दूसरा मृत पाया गया जिसके कमर पर स्कूटी गिरा हुआ था। दर्द से कराह रहे युवक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लालू यादव बताया तथा उससे मृत युवक का नाम पूछने पर उसने सिकंदर कुमार यादव बताया। घटना के संबंध में पूछने पर लालू यादव बताया कि वह और सिकंदर यादव, अच्छेलाल यादव, पप्पू कुमार के साथ शराब तस्करी का काम करते हैं। आज सुबह चारों उत्तर प्रदेश के प्रतापपूर से शराब का खेप लेकर आ रहे थे। लालू यादव स्कूटी के पीछे बैठा था तथा सिकंदर यादव चला रहा था। स्कूटी पर बोरे में शराब था जिसे लालू यादव पकड़ा हुआ था। आगे–आगे अच्छेलाल और पप्पू कुमार लाईनर का काम कर रहे थे। जैसे ही स्कूटी के साथ हरपूर नहर के पास पहुॅचा कि पांच–छः की संख्या में युवक इनलोगों को रोक दिये। अच्छेलाल एवं पप्पू मोटरसाईकिल से आगे निकल गया उसके बाद वे लोग सिकंदर एवं उसे लाठी से मारने लगे एवं शराब से भरा बोरा छीनने का प्रयास किये। इसी बीच सिकंदर यादव तेजी से स्कूटी लेकर भागना चाहा तो एक युवक ने सिकंदर के सिर पर गोली मार दिया, जिससे सिकंदर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई तथा उसके साथ भी वे लोग मारपीट किये। हल्ला पर लोगों की आने की आहट सुनकर वे लोग अपना मोटरसाईकिल छोड़कर सत्येंद्र यादव भागो बोलते हुए भाग गये। लालू यादव द्वारा बताया गया कि पांच छः अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा शराब छीनने एवं पूर्व की दुश्मनी को लेकर सिकंदर यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है।

**लगातार**
**16.06.2026**

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है इसके विरूद्ध इस मुकद्मा के अलावे अन्य कोई भी मुकद्मा लंबित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से आगे यह भी निवेदन किया गया कि इस वाद के सह अभियुक्त संत लाल कुमार सिंह को अग्रिम जमानत की सुविधा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमी. मिस. संख्या 58116/2025, आदेश दिनांक 17.02.2026 के द्वारा एवं अभियुक्त नीरज कुमार सिंह उर्फ डी0एम0 को नियमित जमानत की सुविधा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमी. मिस. संख्या 27061/2022, आदेश दिनांक 01.09.2022 के द्वारा के द्वारा प्रदान की गई है। उक्त आपराधिक वाद के संदर्भ में आवेदक/अभियुक्त का मामला उक्त अभियुक्त संतलाल कुमार सिंह एवं नीरज कुमार सिंह उर्फ डी.एम. से बेहतर स्थिति में है और आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत निवेदन का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के दोस्त सिकंदर यादव की हत्या करने का गंभीर आरोप है और अभियोजन साक्षियों ने अपने अभियोजन साक्ष्य के क्रम में कथित अपराधिक घटना का समर्थन किया है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, नौतन थाना कांड संख्या 185/2021, अंतर्गत धारा– 302, 120बी/34 भा.द.वि. एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा के अंतर्गत सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सिकंदर यादव की गोली मारकर हत्या करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त है, किंतु उसकी कथित अपराध में संलिप्तता का तथ्य प्रस्तुत आपराधिक वाद के सह अभियुक्त नीरज कुमार सिंह उर्फ डी0एम0 के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है(कांड दैनिकी की कंडिका 69 में वर्णित) है। इस आपराधिक वाद के अभियुक्त संत लाल कुमार सिंह को अग्रिम जमानत की सुविधा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमी. मिस. संख्या 58116/2025, आदेश दिनांक 17.02.2026 के द्वारा एवं अभियुक्त नीरज कुमार सिंह उर्फ डी0एम0 को जमानत की सुविधा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमी. मिस. संख्या 27061/2022, आदेश दिनांक 01.09.2022 के द्वारा प्रदान की गई है। उक्त आपराधिक वाद के संदर्भ में आवेदक/अभियुक्त का मामला उक्त अभियुक्त संतलाल कुमार सिंह एवं अभियुक्त नीरज कुमार

**लगातार**
**16.06.2026**

सिंह उर्फ डी.एम. से बेहतर स्थिति में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक/अभियुक्त अमित राज की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है तद्नुसार उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उसके द्वारा 28 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने पर अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की स्थिति में उसके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के बंध पत्र साथ समान राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात धारा 438(2) द.प्रं.सं. के शर्तो के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक/अभियुक्त इस आशय का लिखित बचनबद्ध (written undertaking) दाखिल करेगा कि वे अनुसंधान तथा विचारण में सहयोग करेगा तथा अभियोजन साक्ष्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

**लेखापित**
ह0/–
**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम**
**सिवान।**